



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082026-275652
CG-DL-E-21082026-275652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4448]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948

No. 4448]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2026

का.आ. 4629(अ).— केंद्रीय सरकार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 139 की उपधारा (1) के अनुसरण में, सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026, जिन्हें आगे उक्त नियम कहा जाएगा, के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित केंद्रों को कैरियर केंद्र (केंद्रीय) के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

- (i) केंद्रीय रोजगार कार्यालय; और
 - (ii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय, नई दिल्ली के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल (www.ncs.gov.in) को कैरियर केंद्र (केंद्रीय) के रूप में।
- (2) कैरियर केंद्र डिजिटल रूप में सूचना एकत्र और उपलब्ध कराएंगे।
- (3) प्रत्येक प्रतिष्ठान या किसी वर्ग या श्रेणी के प्रतिष्ठानों का नियोक्ता सभी रिक्तियों की सूचना डिजिटल माध्यम से कैरियर केंद्र को प्रदान करेगा और पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी में किसी भी परिवर्तन की सूचना भी डिजिटल माध्यम से उक्त कैरियर केंद्र को प्रदान करेगा।

- (4) कैरियर केंद्र (क्षेत्रीय) अपने द्वारा एकत्रित जानकारी को उक्त नियमों के प्ररूप- XXV, प्ररूप- XXVI तथा प्ररूप- XXVI (क) में डिजिटल माध्यम से कैरियर केंद्र (केंद्रीय) के साथ साझा करेगा।
- (5) तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रकृति के ऐसे पदों की रिक्तियाँ, जिनका वेतन स्तर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पे स्तर-5 (रु 29,200 - रु 92,300) या 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे रु 2,800 तथा समकक्ष या उससे अधिक हो, उनकी सूचना उक्त नियमों के प्ररूप- XXV में डिजिटल माध्यम से कैरियर केंद्र (केंद्रीय) को दी जाएगी।

[फा. सं. डीजीई-जेड 11011/02/2026-ईई-1]

अजय शर्मा, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2026

S.O. 4629(E).— In pursuance of sub-section (1) of section 139 of the code on social security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby, notifies Social Security (Central) Rules, 2026, hereinafter referred to as the said rules, the following centres to be the career centre (Central) for the purposes of the rules, namely: -

- (i) Central Employment Exchange; and
- (ii) National Career Service Portal (www.ncs.gov.in) working under the Directorate General of Employment, Ministry of Labour and Employment, New Delhi as career centre (Central).
- (2) The career centres shall collect and furnish information in digital form.
- (3) The employer in every establishment or any class or category of establishments shall report all vacancies digitally to the career centre and any change in the particulars already furnished shall be digitally reported to the said career centre.
- (4) The career centre (Regional) shall digitally share the information collected by it to the career centre (Central) in the Form- XXV, Form-XXVI and Form-XXVI (A) of the said rules.
- (5) The vacancies in posts of technical and scientific nature carrying Pay Level-5 (₹29,200–92,300) of the 7th Central Pay Commission or Grade Pay ₹2,800 of the 6th Central Pay Commission and equivalent or above, shall be reported digitally to the career centre (Central) in Form-XXV of the said rules.

[F. No. DGE-Z-11011/02/2026-EE-1]

AJOY SHARMA, Addl. Secy.